

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-2767611

पत्रांक:- १३६८

/FP/UK/DISP/114282/2020 दिनांक: देहरादून २-१२ नवम्बर, 2021

नवम्बर, 2021

सोमा वंश

अपर प्रमुख वन रांकाक,
भारत राकार,
पर्यावरण, वन एवं जलपायु परिवर्तन मंत्रालय,
एफीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25-रागाप रोड, देहरादून।

विषय:- जगपद नैनीताल में रथापिता राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के नियन्त्रणाधीन स्वामी राम कैंसर चिकित्सालय एवं अनुराधान संरचना हल्द्वानी का पिरसारीकरण करते हुए "राज्य कैंसर संस्थान" तथा संक्रमण रोग चिकित्सालय की रथापना किये जाने हेतु 4.25 लौंग भूमि के हस्तान्तरण के राग्यन्ध में।

रान्दगी:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं ४८०/यूसी०पी०/०९/५४/एफ०री०/६३७ दिनांक 31.08.2021

महोदय

विषयाकृत प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 31-08-2021 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, परिचयी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्यानी (नैगीताल) के पत्रांक 593 / 12-1 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा प्रेषित विन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

| क्र० सं० | आपत्ति | निराकरण |
|----------|---|---|
| 1 | विषयांकित Medical College से सम्बन्धित पूर्व में Regional Empowered Committee की बैठक दिनांक 12.08.2019 में चर्चा कर तीन पृथक-2 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। राज्य रारकार से अनुरोध है कि उन प्रस्तावों की compliance report/वर्स्टुरिश्टि की जानकारी प्रस्तुत करें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा पूर्व में रीजनल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 12.08.2019 में चर्चा कर तीन पृथक-पृथक प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। उक्त तीनों प्रस्तावों पर प्राप्त सैद्धान्तिक रवीकृति में निहित समर्त शर्तों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है। मात्र क्षतिपूरक वनीकरण की दरों में वृद्धि होने के कारण इसके सापेक्ष प्राप्त पुनरीक्षित डिमाण्ड नोट की धनराशि ₹0 55,27,923/- की वित्तीय स्वीकृति शासन से प्राप्त होते ही धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जायेगी। |
| 2 | राज्य सरकार यह स्पष्ट करें कि यदि यह नया प्रस्ताव है तो इसे "Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital" के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया है क्योंकि प्रस्तावित भूमि पर कोई Hospital विद्यमान नहीं है। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत रारकार द्वारा राज्य कैंसर संरचना की स्थापना के लिए पूर्व निर्मित स्थामी राम कैंसर चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया था, जिसका विस्तारीकरण करते हुए राज्य कैंसर संरचना का निर्माण करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी को प्रदान की गयी है। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि प्रस्तावित 4.25 है० भूमि से लगी हुई भूमि पर स्थामी राम कैंसर चिकित्सालय पूर्व से ही विद्यमान है, अतः इसे "Upgradation of existing Swami Ram Cancer Hospital" के रूप में प्रस्तुत किया गया है। |
| 3 | प्रस्ताव में 2.5 है० क्षेत्र में "Radiotherapy Bunker" प्रस्तावित किया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि यह भूमिगत संरचना होगी। अतः राज्य रारकार यह स्पष्ट करें कि इसके लिये वृक्षों के पातन की आवश्यकता यर्थों है। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि यह भूमिगत संरचना नहीं है। अतः इसके निर्माण के समय कम से कम वृक्षों का पातन किये जाने के प्रयास किये जायेंगे। |
| 4 | प्रस्तुत "Layout" रूपरेखा नहीं है साथ ही "Future Construction" हेतु प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जायेगा। राज्य रारकार ये अनुरोध है कि वह इस सामग्र्य में अपना रूपरेखा दुर्लभ कार्यालय में प्रेप्रित करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त ₹0.0010रुपा दिनांक 26.02.2021 के विन्दु ₹0 10 के अनुसार दोनों "patches" के लिये पृथक-2 "components wise breakup" एवं "Layout" पर उनकी स्थिति रूपरेखा करें। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर ले-आऊट में कोविड-19 जैसी वैशिक महामारी के दृष्टिगत् राज्य रारकार के निर्देशों के क्रम में 210 शैयायाओं के "संक्रमण रोग चिकित्सालय" का निर्माण अतिआवश्यक रूप में किया जाना प्रस्तावित है, इस हेतु आगणन शासन के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया है। हरतान्तरण की रवीकृति प्राप्त होते ही जनहित में प्रस्तावित "संक्रमण रोग चिकित्सालय" का निर्माण उत्तर 4.25 है० यन भूमि के मात्र 0.35 है० भू-भाग पर ही किया जायेगा। अतः इसे "Future Construction" में दर्शाया गया है। स्पष्ट |

| | | |
|---|--|--|
| | | झे-आजट प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्नक-01 के रूप में संलग्नित है। उक्त के अधिरिक्त ई0डी0एस0 दिनांक 26.02.2021 के बिन्दु राख्या-10 के अनुसार प्रस्तावित दोनों पैद्य के लिए पृथक्-पृथक् कम्पोनेंट वाईज ब्रेकअप प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्नक-02 व 03 के रूप में संलग्नित है, तथा उनकी स्थिति रालग्न ले-आजट में पीले व लाल रंग से प्रदर्शित की गयी है। |
| 5 | पातन होने वाले वृक्षों की राख्या 347 है, जिसे न्यून करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया है। | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पार्किंग स्थल एवं सड़क का निर्माण भी किया जायेगा, अपितु भवनों के निर्माण कार्यों में अपरिहार्य रूप से काटे जाने वाले न्यूनतम वृक्षों के पातन की स्वीकृति तत्समय वन विभाग से प्राप्त की जायेगी। |

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव विभाग के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ. कपिल जोशी)

अपर प्राप्त वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या 1369 / FP/UK/DISP/114282/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपितः-

1. वन संरक्षक, परिचमी वृत्त उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) के पत्रांक 593/12-1 दिनांक 14.10.2021 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

(डॉ. कपिल जोशी)

अपर प्राप्त वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

5
C